न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. प्रभूदान पुत्र शम्भूदान जाति चारण निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला जोधुपर		1. मगाराम पुत्र मोतीराम जाति सुथार निवासी नयागांव तहसील बाप जिला जोधपुर 2 तहसीलदार बाप

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 126/2019

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री मदनगोपाल शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की और से
3. अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 19.11.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नंबर 16/19 रकबा 43.14 बीघा मौजा सरहद नयागांव पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी संवत 2070–2073 प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड जमाबदी अनुसार अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुओं का बाड़ा इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बार ही मास निवास करते है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश पटवारी हल्का से दिनांक 15/03/2019 को मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थिति में करवाई है। तथा मौका फर्द तैयार की गई प्रार्थी जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों और खूंटे रोपने लगे तो खसरा नंबर 16/20 रकबा 12.00 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ने पैमाईश अनुसार खूटे रोपने से मना कर दिया और धमकी दी की मै पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने नहीं दूंगा। प्रार्थी उक्त भूमि के चारों और तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है अतः फसल की सुरक्षा हेतु प्रार्थी उक्त पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी कराना चाहता है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी खातेदारी भूमि की दिनांक 15/03/19 को की गई पैमाईश अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की श्री मदनगोपाल शर्मा ने वकालतनाम व इकबालिया जवाब पेश किया

अधिकारी-बाप

जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने मे मुझे किसी प्रकार का उजर एव ऐतराज नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि खसरा नम्बर 16/19 रकबा 43.14 बीघा मौजा नयागांव पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरा की भूमि पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रार्थी की उक्त भूमि का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15/03/2019 को की गई पैमाईश अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया की प्रार्थी एवं अप्रार्थी पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी किया जाना उचित है।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम नयागांव पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 16/19 रकबा 43.14 बीघा भूमि का प्रार्थी खातेदार है, रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूरा–पूरा अधिकार है, अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने इकबालिया जवाब में प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार पत्थरगढी किये जाने में किसी प्रकार का ऐतराज जाहिर नहीं किया है। सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि की पत्थर गड्डी किये जाने की सहमति जाहिर की है। इसलिये प्रार्थी खातेदारी भूमि की अपनी हद में पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है कि नयागांव पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 16/19 रकबा 43.14 बीघा भूमि का सीमाज्ञान पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए मौका फर्द दिनांक 15/03/19 अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
उप खण्ड अधिकारी, बाप
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.06 16:28:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: